न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 144 / 2012

निर्णय दिनांकः– 29.2.2016

उनवान

1.प्रहलाद पुत्र घासी जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामस्वरूप पुत्र घासी जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
3.गुलाब पुत्री घासी जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
4.बृजमोहन पुत्र फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
5.रामकरण पुत्र फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
6.अशोक पुत्र फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
7.सत्यनारायण पुत्र फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
8.ललता पुत्री फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
9.रामप्यारी बेवा फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.कस्तुरा पुत्र कल्याणा जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
3.एस.बी.बी.जे. अलीगढ जिला टोंक द्वारा शाखा प्रबन्धक
4.बडोदा राज0 ग्रामीण बैंक शाखा पचाला द्वारा शाखा प्रबन्धक
5.जिला सहकारी भूमि विकास बैंक उनियारा द्वारा सचिव

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री पी0सी0जैन, वकील वादी न0 1
श्री बेणी प्रसाद मीणा वकील प्रतिवादी न0 1

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजीयात ख0न0 84 रकबा 13.69 हैक्टर व ख0न0 69 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 14.00 है0 वाके ग्राम रहमाननगर तहसील उनियारा वादीगण के पूर्वज घासी पुत्र औंकार के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। घासी के 4 पुत्र मे से सबसे बडा लडका कस्तुरा बचपन मे ही कल्याणा पुत्र औंकार के गोद चला गया। तब से ही वह कल्याणा के पास रहता चला आ रहा है एवं उसकी जमीन जायदाद का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। घासी के शेष 3 लडके प्रहलाद, फुलचन्द उर्फ फुल्या व रामस्वरूप है। जिसमे फुलचन्द उर्फ फुल्या का देहान्त हो गया है, जिसके वादीगण न0 4 ता 9 वारिसान है। घासी के एक लडकी गुलाब है, मृतक घासी की बेवा जडी बेवा का देहान्त हो गया है। उक्त वर्णित आराजीयात मे मृतक घासी के वारीसान कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। जिन्होने मृतक घासी के जीवनकाल मे ही मोके पर उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन भी बाहमी तौर पर कर दिया था, जिसके अनुसार वादीगण अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीया तमे प्रतिवादी न0 का कोई हक व हिस्सा नही है। वह कल्याणा पुत्र ओंकार के गोद जाने के पश्चात से ही कल्याण की सम्पत्ति पर काबिज काश्त है तथा कल्याणा की मृत्यु के बाद उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रतिवादी न0 1 के नाम खातेदारी मे चली आ रही है। जिसके सम्बन्ध मे प्रतिवादी न0 1 ने स्वयं ने भी एक इकरारनामा दिनांक 4.6.1999 को निष्पादित किया है, जो सलंग्न वाद है। घासी की मृत्यु के पश्चात फोती के नामान्तरकरण मे वादीगण के साथ प्रतिवादी न0 1 का नाम गलत रूप से अंकित हो गया, जबकि उक्त वर्णित आराजीयात से प्रतिवादी न0 1 का कोई सम्बन्ध नही रहा है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

यह की वादीगण की अधियाचना है कि यह घोषणा की जावे कि आराजीयात ख0न0 184 रकबा 13.69, ख0न0 169 रकबा 0.31 हैक्टर वाके ग्राम रहमाननगर तहसील उनियारा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, राजस्व रेकार्ड मे से प्रतिवादी न0 1 का नाम हटाया जावे। प्रतिवादी न0 1 को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजीयात मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी न0 1 ने जरिये वकील जवाब दावा पेश किया कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी न0 1का कोई लेना देना नहीं है। वह कल्याणा पुत्र औंकार के गोद चला गया था तथा कल्याणा की सम्पत्ति पर कसबिज काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी न0 1 का नाम हटाया जाकर वादीगएा को सम्पूर्ण आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे। प्रतिवादी न0 4 ने जवाब दावा पेश किया कि प्रतिवादी न0 1 ने वादग्रस्त भूमि बैंक के हन रखकर ऋण प्राप्त किया है, जिसने ऋण अदायगी नही की है। बैंक के रहन दर्ज है तथा बिना रहन मुक्त कराये वादीगण किसी प्रकार उदघोषणा या दुरूस्त करवाने का अधिकारी नही है। वाद वादीगण खारिज किया जावे।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात एग्रीमेन्ट दिनांक 4.6.99 प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 प्रदर्श 3, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2068 प्रदर्श 4 ,नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 प्रदर्श 6, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2068 प्रदर्श 7 पेश किये है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे पी0डब्लू0 1 रामस्वरूप , पी.डब्लू. 2 शंकरलाल व पी0डब्लू0 3 राधेश्याम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 वाके ग्राम रहमाननगर तहसील उनियारा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 184, 169 कुल किता 2 कुल रकबा 4.00 है0 मे कस्तुरा पुत्र घासी हि0 1/6 दर्ज है तथा अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचाला के रहन दर्ज है। प्रहलाद, रामस्वरूप पुत्रान घासी हि0 1/3, फूल्या पुत्र घासी हि0 1/6, गुलाब पुत्री मु0 जडी बेवा घासी हि0 1/3 दर्ज है। जडी व फूलचन्द के फोत होने पर वारिसान का नाम अंकित है। उक्त आराजी विभिन्न बैंको के रहन दर्ज है। प्रतिवादी न0 1 के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया गया है। प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 वाके ग्राम रहमाननगर तहसील उनियारा मे कस्तुरा पुत्र कल्यान कोम अहीर सा0 देह खातेदार राहिन बैंक आफ बडोदा शाखा सूथडा दर्ज है। जिससे स्पष्ट हैं कि प्रतिवादी न0 1 के नाम कल्यान की सम्पत्ति अंकित हुयी है। प्रदर्श एग्रीमेन्ट मे प्रतिवादी न0 1 ने माना है कि वह उसके पिता घासी के बडे भाई कल्याण के गोद चला गया था। प्रतिवादी न0 1 का नाम कल्याण की सम्पत्ति मे अंकित हो जाने से वह वादग्रस्त आराजीयात मे हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही रहा है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वाद वादीगण डिकी किया जाता है। आराजी ख0न0 84 रकबा 13.69 हैक्टर व ख0न0 69 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 14.00 है0 वाके ग्राम रहमाननगर तहसील उनियारा मे वादी न0 1 को 1/4 हिस्से का , वादी न0 2 को 1/4 हिस्से का, वादी न0 3 को 1/4 हिस्से का, वादी न0 4 ता 9 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकि वादग्रस्त भूमि का 1/6 हिस्सा अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचाला के रहन दर्ज है। अतः वादीगण के द्वारा उक्त बैंक का ऋण अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावे। अन्य बैंक के रहन का इन्द्राज यथावत रहेगें। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड कु दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.2.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.प्रहलाद पुत्र घासी जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामस्वरूप पुत्र घासी जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
3.गुलाब पुत्री घासी जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
4.बृजमोहन पुत्र फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
5.रामकरण पुत्र फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
6.अशोक पुत्र फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
7.सत्यनारायण पुत्र फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
8.ललता पुत्री फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
9.रामप्यारी बेवा फूलचन्द उर्फ फूल्या जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.कस्तुरा पुत्र कल्याणा जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
3.एस.बी.बी.जे. अलीगढ जिला टोंक द्वारा शाखा प्रबन्धक
4.बडोदा राज0 ग्रामीण बैंक शाखा पचाला द्वारा शाखा प्रबन्धक
5.जिला सहकारी भूमि विकास बैंक उनियारा द्वारा सचिव

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 144 वर्ष 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाष चन्द शर्मा आर0ए0एस0 व हाजरी श्री पी0सी0जैन जैन वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व श्री बी0पी0मीणा वकील प्रतिवादी न0 1 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी ख0न0 84 रकबा 13.69 हैक्टर व ख0न0 69 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 14.00 है0 वाके ग्राम रहमाननगर तहसील उनियारा मे वादी न0 1 को 1/4 हिस्से का , वादी न0 2 को 1/4 हिस्से का, वादी न0 3 को 1/4 हिस्से का, वादी न0 4 ता 9 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकि वादग्रस्त भूमि का 1/6 हिस्सा अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचाला के रहन दर्ज है। अतः वादीगण के द्वारा उक्त बैंक का ऋण अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावे। अन्य बैंक के रहन का इन्द्राज यथावत रहेगें। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड का दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 02 सन् 2016 को जारी की गई।

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा

कमाक/रीडर/17/ दिनांक/13.12.2017

संशोधित आदेश

तहसीलदार उनियारा ने प्रांसगिक पत्र भेज कर निवेदन किया है कि न्यायालय के वाद सख्यां 144/2012 निर्णय दिनाक 29.2.16 उनवान प्रहलाद पुत्र घासी वगै0 बनाम कस्तुरा पुत्र कल्याण वगै0 रहमाननगर मे ख0न0 84 रकबा 13.69 है0 ख0न0 69 रकबा 0.31 है0 मे आदेश जारी हुए है। रिपोर्ट पटवारी हल्का चौरू के अनुसार ग्राम रहमाननगर का ख0न0 69 रकबा 0.08 है0 राजकीय सिवायचक व ख0न0 84 रकबा 0.03 है0 परामा कैलारी वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड दावे मे उक्त ख0न0 के स्थान पर 184, 169 का अंकन है।

मुताबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी ख0न0 169 रकबा 0.81 है0 व ख0न0 184 रकबा 13.69 है0 किता 2 रकबा 14.00 है0 वाके ग्राम रहमाननगर वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज है।

मूल दावा व तहसीलदार उनियारा कि रिपोर्ट का मनन किया गया। दावा संख्या 144/2012 निर्णय दिनाक 29.2.2016 के अनुसार आ0ख0न0 84,69 के स्थान पर आ0ख0न0 184,169 ग्राम रहमाननगर पढा जावे। अतः निर्णय मे संशोधित किया जाता है।

संशोधित आदेश आज दिनाक 13.12.2017 को जारी किया जाता है।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा,टोक

Scanned by CamScanner